<u>न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बड्वानी</u> (समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय्')

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 620/2012</u> संस्थित दिनांक 12.12.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी, जिला बड़वानी, मप्र

– अभियोगी

वि रू द्ध

- 1. घीसालाल उर्फ घीसीलाल पिता माधाजी, 60 वर्ष,
- 2. कैलाश पिता घीसालाल, 40 वर्ष,
- 3. मुकेश पिता घीसालाल, 36 वर्ष,
- रिव उर्फ रिवन्द्र पिता घीसालाल, 30 वर्ष,
 जाति—सिर्वी, पेशा—खेती, निवासीगण—ग्राम चितावल,
 पुलिस थाना ठीकरी, जिला बड़वानी, मप्र अभियुक्तगण

अभियोजन द्वारा एडीपीओ **– श्री अकरम मंसूरी** अभियुक्तगण द्वारा अभिभाषक **– श्री जे. पी. गुप्ता**

—: <u>निर्णय</u>:— (आज दिनांक 15—10—2016 को घोषित)

- 01— पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 173/2012 के आधार पर अभियुक्त घीसालाल उर्फ घीसीलाल के विरुद्ध दिनांक 23.09.2012 को दिन में 12 बजे ग्राम चिलावल में लोक स्थान पर फरियादी दिनेश को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने तथा किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से फरियादी को मारकर उसे गम्भीर उपहित कारित करने तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के आधार पर भादि की धारा 294, 325, 506 भाग—दो का अभियोग है तथा शेष अभियुक्तगण पर इसी घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी दिनेश के साथ मारपीट कर उसे स्वैच्छ्या उपहित कारित करने तथा उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने तथा फरियादी दिनेश को उपहित कारित करने का सामान्य आशय आरोपी घीसालाल उर्फ घीसीलाल के साथ मिलकर बनाने एवं जिसके अग्रसरण में सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से मारपीट कर उसे गम्भीर उपहित कारित करने के आधार पर भादिव की धारा 323, 506 भाग—दो, 325/34 का अभियोग है।
- 02- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्तों को जानते हैं और पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.09.2012 को दिन के 12 बजे फरियादी दिनेश पिता राजाराम, राजू सिवीं की दुकान पर तम्बाकू का गुटका लेने गया था और लौटकर राम मंदिर के ओटले पर बेठकर घर में विवाद होने से घरवाली को गालियां दे रहा था, तभी आरोपी घीसालाल सिवीं हाथ में लकडी लिए आया और बोला कि गालियां क्यो दे रहा है, तो फरियादी ने कहा कि वह अपने घरवालों को गालियां दे रहा है, इस पर आरोपी घीसालाल ने फरियादी को मां-बहन की अश्लील गालियां दी और कहा कि वह उसे गालियां दे रहा है। आरोपी घीसालाल ने उसे लकड़ी से दाहिने पैर के घुटने के नीचे मारा, दूसरी लकड़ी उसकी पीठ में मारी व बांए घुटने के पास फिर आरापी घीसालाल के तीनों लड़के आरोपी कैलाश, मुकेश व रवि भी आ गए, उन्होंने दिनेश को लात-मुक्कों से मारपीट की, वह गिर गया, फिर चारों ने जान से मारने की धमकी दी। घटना पदम पिता दौलत मानकर व जय पिता मुकेश कलाल ने देखी। फरियादी का भाई गणेश के मजदूरी से आने के बाद उसने घटना बताई व थाना ठीकरी पर रिपोर्ट करने आया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 173/2012 दर्ज कर फरियादी दिनेश को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया, घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, आरोपी घीसालाल के पास से बांस की लकडी जप्त की गई, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर, आहत दिनेश को अस्थिभंग की चोट पाने पर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तृत किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्त घीसालाल उर्फ घीसीलाल को भादिव की धारा 294, 325, 506 भाग—दो तथा शेष अभियुक्तगण को भादिव की धारा 323, 506 भाग—दो, 325/34 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उसकी विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। दप्रसं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण का कथन है कि वे निर्दोष हैं तथा फरियादी से उनकी बोलचाल बंद होने से रंजिशवश उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया गया।

05- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्त घीसालाल उर्फ घीसीलाल ने घटना दिनांक 23.09.2012 को दिन में 12 बजे ग्राम चितावल में लोक स्थान पर फरियादी दिनेश को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
(ii)	क्या अभियुक्त कैलाश, मुकेश व रिव ने उसी घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी दिनेश को लात—मुक्कों से मारपीट कर स्वैच्छ्या उपहति कारित की ?

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(iii)	क्या अभियुक्तगण ने उसी घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी दिनेश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में आरोपी घीसालाल उर्फ घीसीलाल ने फरियादी को सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से मारपीट कर गम्भीर उपहति कारित की ?
(iv)	क्या अभियुक्तगण ने उसी घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी दिनेश को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

- <u>विचारणीय प्रश्न कमांक (ii) व (iii) पर सकारण निष्कर्ष</u> -

- **06** उपरोक्त दोनों ही विचारणीय प्रश्न एक—दसूरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने व सुविधा तथा संक्षिप्तता की दृष्टि से इनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।
- 07— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन साक्षी फरियादी दिनेश मालवीय (अ.सा.—1) का कथन है कि घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व दिन के 12 बजे की है। उसने थोड़ी मदिरापान की हुई थी, वह किसी को चिल्ला—चोट नहीं कर रहा था, तभी चारों अभियुक्तगण आए और उसके साथ मारपीट की। घीसालाल के हाथ में लट्ठ था, जो उसने उसे पैर में मार दिया, उसे सिर में भी चोट आई थी, वह गिर गया था और बेहोश हो गया था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर की थी, जो प्रपी—1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसे ईलाज के लिए पहले ठीकरी फिर बड़वानी अस्पताल भेजा था। उसके पैर में अस्थिभंग हुआ था।
- 08— बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह थोड़ी शराब पिये हुए था, लेकिन किसी को गालियां नहीं दीं। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसकी अभियुक्तों से काफी समय से बोलचाल बंद है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके अभियुक्तगण से अच्छे संबंध हैं और अभी भी हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जयप्रकाश उसका भानजा है तथा गणेश उसका भाई है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि अभियुक्तों ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी अथवा वह शराब पीकर गिर गया था, जिससे उसका पैर टूट गया था, बिन्क साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्तगण ने उसे मारपीट कर गिरा दिया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि अभियुक्तगण से रंजिश होने के कारण उसने मिथ्या रिपोर्ट की है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह न्यायालय में कथन के दौरान भी शराब पिये हुए है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि वह होश में है और अभियुक्तगण ने उसे मारा, तब से वह मदिरापान करने लगा है।

- 09— अभियोजन साक्षी पदम (अ.सा.—2) व राजू उर्फ राजाराम (अ.सा.—4) ने आरोपीगण एवं फरियादी को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किए हैं। साक्षी पदम (अ.सा.—2) का कथन है कि उसके सामने फरियादी एवं अभियुक्तों का कोई विवाद नहीं हुआ, उसने कोई घटना नहीं देखी। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इन्कार किया है कि दो—ढाई वर्ष पूर्व दिन के 12 बजे फरियादी को मंदिर के सामने अभियुक्त घीसालाल ने पैर, पीठ में लकड़ी से मारपीट की और आरोपी कैलाश, मुकेश और रिव भी आ गए थे और उन्होंने भी लात—मुक्कों से मारपीट की थी। यहां तक कि साक्षी ने प्रपी—2 का पुलिस कथन देने से भी इन्कार किया है।
- 10— इसी प्रकार साक्षी राजू उर्फ राजाराम (अ.सा.—4) का कथन है कि लगभग 5—7 माह पूर्व, फरियादी दिनेश उसकी होटल पर आया था और गालियां दे रहा था, तो उसने उसे गुटखा देकर उसके घर रवाना कर दिया था। इस साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्रपी—4 तथा गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी—5 लगायत 8 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। इस साक्षी को भी अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह आरोपीगण के समाज का है। साक्षी ने स्पष्ट कथन किया कि दिनेश प्रातः 9—9:30 बजे उसकी दुकान पर आया और गालियां दे रहा था। साक्षी ने कूट परीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि दिन के लगभग 12:30 बजे दिनेश गालियां नहीं दे रहा था। साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इन्कार किया है कि दिनेश को अभियुक्त घीसालाल ने पैर में लकड़ी से मारी थी। साक्षी ने जप्ती पंचनामा पुलिस ने उसके सामने बनाया, इस बात से इन्कार किया है।
- 11— बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी दुकान से फरियादी दिनेश का मकान काफी दूरी पर है, यदि कोई उसकी दुकान से चिल्लाए तो दिनेश के घर तक नहीं सुनाई देगा। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने कोई झगड़ा होते हुए नहीं देखा। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जब दिनेश उसकी दुकान पर आया, तब वह शराब पिये हुए था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दिनेश बेसुध था और गालियां दे रहा था, तब उसने दिनेश को समझा बुझाकर उसके घर रवाना कर दिया था और उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी। सम्भवतः उक्त साक्षी जानबूझकर बचाव पक्ष के समर्थन में कथन कर रहा है, क्योंकि साक्षी का यह कथन नहीं है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई।
- 12— अभियोजन साक्षी डॉ. आर. एस. मुजाल्दा (अ.सा.—5) का कथन है कि दिनांक 23.09.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में थाना ठीकरी से आरक्षक सुरेन्द्र नंबर—281 द्वारा आहत दिनेश पिता राजाराम मालवीया, आयु 35 वर्ष, निवासी चिलावल को मेडिकल परीक्षण हेतु लाने पर, उसने आहत को परीक्षण करने पर चोट क्रमांक—1 दाहिने पैर में सूजन घुटने के नीचे, आकार—10" गुणा 5", चोट क्रमांक—2 बांए पैर में रगड़ का निशान, आकार—1" गुणा 1", चोट क्रमांक—3 पीठ पर बांई तरफ सूजन, आकार—2" गुणा 2" पाई होकर किसी

सख्त एवं बोथरी वस्तु से उसके परीक्षण से करीब 12 घण्टे की अवधि के भीतर आना पाई, जिसमें चोट क्रमांक—2 व 3 सामान्य प्रकृति की थी तथा चोट क्रमांक—1 की प्रकृति जानने के लिए जिला चिकित्सालय, बड़वानी में एक्स—रे एवं अग्रिम ईलाज हेतु जाने की सलाह आहत को इस साक्षी ने दी थी। साक्षी ने आगे कथन किया है कि आहत की एक्स—रे प्लेट का परीक्षण करने पर उसके दाहिने पैर की टिबिया—फिबुला हड्डी में अस्थिभंग होना पाया गया। साक्षी द्वारा आहत के मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन तैयार किए गए, जिन्हें साक्षी ने प्रपी—10 व 11 के रूप में प्रमाणित भी किया है। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत को आई जैसी चोटें एवं प्रपी—11 अनुसार दर्शित अस्थिभंग कठोर धरातल पर गिरने से आ सकती हैं।

- 13— अभियोजन साक्षी मेहताबसिंह चौहान (अ.सा.—3) का कथन है कि दिनांक 23.09.2012 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमाक 173/2012 की विवेचना के दौरान उसने दिनांक 24.09.2012 को घटनास्थल ग्राम चिलावल पहुंचकर नक्शामौका प्रपी—3 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा फरियादी दिनेश और साक्षी गणेश, जय, पदम एवं राजू के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे। इस साक्षी ने आरोपी घीसालाल के पेश करने पर दिनांक 27.09.2012 को बांस की एक लकड़ी प्रपी—4 के जप्ती पंचनामे अनुसार जप्त की थी तथा आरोपीगण को प्रपी—5 लगायत 8 अनुसार गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने सामान की जप्ती थाने पर की थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसे फरियादी और साक्षी गणेश, जय, पदम और राजू ने उसे कोई कथन नहीं दिए थे।
- 14— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घटना के समय फरियादी शराब पिये हुए था तथा शराब के नशे में गिर गया, जिससे उसे चोट आई तथा उसने आरोपीगण के विरूद्ध असत्य रिपोर्ट लिखाई है। अभियोजन साक्षी राजू उर्फ राजाराम (अ.सा.—4) ने यह स्वीकार किया है कि जब दिनेश उसकी दुकान पर आया था, तब वह शराब पिये हुआ था, लेकिन साक्षी का यह भी कथन है कि उसकी दुकान से फरियादी का घर काफी दूरी पर है और वहां से बोलने पर आवाज दिनेश के घर तक नहीं सुनाई देती। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि 2 साक्षी गणेश और जय के कथन भी अभियोजन की ओर से नहीं कराए गए हैं, यहां तक कि डॉ. आर. एस. मुजाल्दा (अ.सा.—5) ने भी यह स्वीकार किया है कि आहत को आई जैसी चोटें व अस्थिमंग, सख्त धरातल पर गिरने से आना सम्भव है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक शंकास्पद हो जाता है और अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है।
- 15— यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आहत दिनेश द्वारा लिखाए गए दो साक्षी गणेश एवं जय के कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराए गए हैं, लेकिन उक्त दोनों ही साक्षीगण के विरूद्ध जारी जमानतीय वारण्ट इस टीप के

साथ लौटे हैं कि उक्त साक्षीगण बाहर चले गए हैं और गांव में नहीं रहते हैं, इस कारण से उनके कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराए जा सके हैं तथा यदि एकमात्र साक्षी के कथन ही पूर्णतः विश्वसनीय हों तो उसके आधार पर भी अभियोजन अपना मामला प्रमाणित कर सकता है तथा किसी भी मामले को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है।

- 16— फरियादी एवं आहत साक्षी दिनेश मालवीय (अ.सा.—1) ने उसके साथ आरोपी घीसालाल उर्फ घीसीलाल ने लट्ठ से मारपीट कर पैर व पीठ में चोट पहुंचाने के संबंध में स्पष्ट कथन किए हैं, जिसका कोई खण्डन आरोपीगण की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। साक्षी ने यहां तक कि, बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि शराब पीकर वह गिर गया था, इस कारण से उसके पैर में चोट आई थी। साक्षी ने अभियुक्तों से अपनी कोई भी रंजिश होने से स्पष्ट इन्कार किया है तथा अभियुक्तों से अच्छे संबंध होना बताया है। जहां तक, साक्षी पदम (अ.सा.—2) तथा राजू उर्फ राजाराम (अ.सा.—4) के पक्षद्रोही होने का प्रश्न है, वहां सम्भवतः, साक्षीगण आरोपी से हितबद्ध होने के कारण अभियोजन के पक्ष में कथन नहीं कर रहे हैं। अभियोजन साक्षी राजू उर्फ राजाराम (अ.सा.—4) से अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपीगण की जाति—समाज का है।
- इस घटना की रिपोर्ट उसी दिन फरियादी दिनेश (अ.सा.–1) ने थाना 17-ठीकरी पर दर्ज कराई है तथा प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रपी—1 अनुसार घटनास्थल से पुलिस थाना ठीकरी की दूरी लगभग 26 किमी. है, ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी, घटनास्थल से थाने की दूरी को देखते हुए, उचित समय पर कराई जाना प्रमाणित होती है। आहत का मेडिकल परीक्षण उसी दिनांक को डॉ. आर. एस. मुजाल्दा (अ.सा.-5) द्वारा किया गया, जिसने आहत का मेडिकल परीक्षण करने पर उसके शरीर के उन्हीं स्थानों पर चोटें आना पाई हैं, जो आहत ने न्यायालय में कथन के दौरान बताई हैं और प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रपी-1 में बताई हैं। इस चिकित्सक साक्षी ने आहत के दाहिने पैर की टिबिया-फिबुला हड़डी में अस्थिमंग होना पाया है और प्रपी-10 तथा 11 भी प्रमाणित किए हैं, जिनका भी कोई खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। यद्यपि, इस चिकित्सक साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत को आई जैसी चोटें सख्त धरातल पर गिरने से आना सम्भव है, लेकिन स्वयं आहत दिनेश (अ.सा. -1) ने उसे गिरने से चोटें आने से स्पष्ट इन्कार किया है। ऐसी स्थिति में डॉ. आर. एस. मुजाल्दा (अ.सा.–5) की उक्त स्वीकारोक्ति से बचाव पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती है।
- 18— इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य विवेचन से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि आरोपी घीसालाल उर्फ घीसीलाल ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर सख्त एवं बोथरी वस्तु लट्ठ से आहत दिनेश (अ.सा.—1) को मारपीट कर स्वैच्छ्यापूर्वक उपहित कारित की थी और उसके पैर में अस्थिभंग हुआ था। आरोपी घीसालाल उर्फ घीसीलाल का उक्त कृत्य भादिव की धारा 325 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जो कि अभियोजन प्रमाणित करने में पूर्णतः

- 7 - आप.प्रक.कमांक 620 / 2012

सफल रहा है। अतः अभियुक्त घीसालाल उर्फ घीसीलाल पिता माधाजी सिवीं, आयु 60 वर्ष, निवासी ग्राम चितावल, थाना ठीकरी, जिला बड़वानी को भादवि की धारा 325 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

- 19— जहां तक, शेष अभियुक्तों के द्वारा आरोपी घीसालाल उर्फ घीसीलाल के साथ मिलकर उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित करने का प्रश्न है, वहां आहत स्वयं ने शेष अभियुक्तों द्वारा आरोपी घीसालाल उर्फ घीसीलाल के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट करने अथवा उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं, ऐसी स्थिति में शेष तीनों अभियुक्तों, कैलाश, मुकेश तथा रिव उर्फ रिवन्द्र पिता घीसालाल सिवीं, निवासीगण ग्राम चितावल, थाना ठीकरी, जिला बड़वानी के विरुद्ध भादि की धारा 325/34 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त शेष तीनों अभियुक्तों को भादिव की धारा 325/34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 20— इसी प्रकार उक्त तीनों अभियुक्तों, कैलाश, मुकेश व रवि उर्फ रविन्द्र के द्वारा आहत दिनेश (अ.सा.—1) के साथ लात—मुक्कों से मारपीट किए जाने के संबंध में स्वयं आहत ने कोई कथन नहीं किए हैं, ऐसी स्थिति में भी उक्त तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध भादवि की धारा 323 का अपराध भी प्रमाणित नहीं होता है। फलतः उक्त तीनों अभियुक्तगण, कैलाश, मुकेश व रवि उर्फ रविन्द्र को यह न्यायालय भादवि की धारा 323 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है।

- विचारणीय प्रश्न कमांक (i) व (iv) पर सकारण निष्कर्ष -

- 21— उपरोक्त दोनों ही विचारणीय प्रश्न एक—दसूरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने व सुविधा तथा संक्षिप्तता की दृष्टि से इनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।
- 22— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में स्वयं फरियादी दिनेश मालवीय (अ.सा.—1) ने ही कोई कथन नहीं किए हैं, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध भादिव की धारा 294, 506 भाग—दो के अंतर्गत दण्डनीय अपराध आरोप साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं होते हैं। चूंकि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उक्त दोनों अपराध आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है, फलतः यह न्यायालय अभियुक्तगण को भादिव की धारा 294 एवं 506 भाग—दो के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है।
- 23— अभियुक्त कैलाश, मुकेश तथा रवि उर्फ रविन्द्र के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

24— अभियुक्त घीसालाल उर्फ घीसीलाल को सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय का आलेखन कुछ देर के लिए स्थिगित किया गया।

> **सही / –** प्रकृत सुरक्ष स्थानिक स्

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.

<u>पुनश्चः</u>

सजा के प्रश्न पर आरोपी घीसालाल उर्फ घीसीलाल तथा विद्वान 25-अधिवक्ता श्री जे. पी. गुप्ता को सुना गया। उन्होंने निवेदन किया कि आरोपी लगभग 60 वर्ष की आयु का व्यक्ति है और लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है तथा वह गरीब, ग्रामीण, अशिक्षित है, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर उसे परीविक्षा विधान के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाकर रिहा किया जाए। यह सही है कि आरोपी लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है, तथा आरोपी की आयु, प्रकरण की परिस्थितियों तथा आरोपी की आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए आरोपी को कारावास के दण्ड से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है, ऐसी स्थिति में आरोपी घीसालाल उर्फ घीसीलाल को अपराधी परीविक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों अनुसार परीविक्षा का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः यह न्यायालय आरोपी घीसालाल उर्फ घीसीलाल सिवीं को भादवि की धारा 325 के अपराध आरोप में दोषी ठहराते हुए अपराधी परीविक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 के प्रावधान अनुसार उसे 2 वर्ष की समयाविध के लिए रूपये 10,000 / – की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र निष्पादित करने पर, इस शर्त पर, परीविक्षा पर रिहा करता है कि आरोपी उक्त समयावधि में परिशांति कायम रखेगा, सदाचारी बना रहेगा और कोई भी अपराध नहीं करेगा तथा यदि आरोपी द्वारा परीविक्षा की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सजा को भुगतने के लिए स्वयं को न्यायालय में उपस्थित रखेगा। अपराधी परीविक्षा अधिनियम 1958 की धारा 5 के अंतर्गत यह भी आदेशित किया जाता है कि आरोपी प्रतिकर स्वरूप रूपये 1,500 / – आहत दिनेश पिता राजाराम मालवीय, निवासी चितावल को अदा करेगा।

26— निर्णय की एक प्रति संबंधित थाने की ओर सूचनार्थ भेजी जाए।

27- अभियुक्त घीसालाल के जमानत-मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

28— प्रकरण में जप्तशुदा मशरूका बांस की एक लकड़ी मूल्यहीन होने से बाद अपील अवधि अपील नहीं होने पर नियमानुसार नष्ट की जाए, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र. सही / – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.

_Steno/S.Jain